भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3106

(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रमुख कार्यक्रमों में राज्यों का प्रदर्शन

3106. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुछ राज्यों के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) कुछ राज्यों के असंतोषजनक प्रदर्शन के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय के इन प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) जैसी कई प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों का कार्य-निष्पादन **अनुलग्नक** में दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा अर्थात रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होने आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराना है। राज्य का निष्पादन ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायकों सहित सभी स्तरों पर श्रमशक्ति की उपलब्धता, श्रमशक्ति के मनोबल और

तकनीकी योग्यता, तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण, वित्तीय प्रबंधन एवं निरीक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली के कामकाज और स्टाफ की भर्ती, सामुदायिक संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और कार्यक्रम अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करता है।

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ मकानों का कुल लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को कुल 2.93 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 03.08.2023 की स्थिति के अनुसार 2.41 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को इकाई सहायता का भुगतान किस्तों में किया जाता है जो मकान पूरा होने के चरणों से जुड़ा होता है। दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि मंजूरी आदेश जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ बाधाओं/कठिनाइयों के कारण इस योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई थी। कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा मार्च, 2024 तक बढ़ा दी थी। उसके बाद, यह योजना अपने प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ रही है और मंत्रालय 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएमजीएसवाई के तहत**,** इस योजना को कार्यान्वित करते समय, भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की अनापत्ति, राज्यों की खराब संविदा क्षमता, संविदाएं प्राप्त न होना, कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे, निधियां जारी करने के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमता, राज्यों/ एसआरआरडीए की निष्पादन क्षमता जैसी चुनौतियां आती हैं जो सामान्य रूप से इस योजना की समग्र प्रगति को प्रभावित करती हैं। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, दुर्गम भू-भाग, काम करने के लिए कम समय मिलना इत्यादि जैसे कुछ अतिरिक्त मुद्दे सामने आते हैं जो चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। तथापि, सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक रही है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत**,** कुछ राज्यों द्वारा संतोषजनक निष्पादन के लिए उत्तरदायी कारक हैं राज्य स्तर पर कार्यक्रम के लिए निरंतर नेतृत्व, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) में पात्र और पर्याप्त कर्मचारी, सुशासन और समय पर निधि सहायता, राज्य सरकार से पूरा सहयोग इत्यादि। पिछड़ने और धीमी प्रगति का कारण मुख्य रूप से कार्यक्रम के लिए नेतृत्व में बार-बार परिवर्तन, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पात्र और पर्याप्त कर्मचारियों की कमी, समय पर निधि जारी न किया जाना, कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से सहयोग की कमी इत्यादि हैं।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के अंतर्गत, कुछ राज्यों द्वारा संतोषजनक निष्पादन के लिए उत्तरदायी कारक हैं-बेहतर आयोजना, विशिष्ट श्रमशक्ति, तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता इत्यादि। कुछ राज्यों के पिछड़ने और धीमी प्रगति के कारण हैं- सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अर्हता पैक में अचानक बदलाव, अपर्याप्त श्रम शक्ति, कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रशिक्षण केंद्रों का कम उपयोग, अभ्यर्थी जुटाने में आने वाली चुनौतियां इत्यादि।

एनएसएपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन को एनएसएपी पोर्टल पर उनकी अधिकतम सीमा की तुलना में तीन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के डिजिटलीकरण की स्थिति के आधार पर मापा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उनकी उच्चतम सीमा अथवा डिजिटलीकृत किए गए लाभार्थियों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर जारी की जाती हैं।

इस मंत्रालय द्वारा एसपीएमआरएम की समीक्षा की गई और इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से बंद कर दिया गया है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों में *अन्य बातों के साथ-साथ,* रिज क्षेत्र का उपचार, जल निकासी लाइन का उपचार, मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, चरागाह विकसित करना, परिसंपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका इत्यादि शामिल हैं। स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने देश में 2015-16 से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत किसी भी नई वाटरशेड परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने इस योजना को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में जारी रखने को 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दे दी है।

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर जोर देता है। कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम-वार कारकों का विश्लेषण किया जाता है और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये योजनाएं समापन की ओर बढ़ें, मंत्रालय ने निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, साझा समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-आयामी प्रणाली विकसित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं।
ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को एंड-टू-एंड लेन-देन आधारित एमआईएस पर लाया गया है, जो सभी हितधारकों को तत्काल आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने

की सुविधा प्रदान करती है। कार्यों की जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ तस्वीर ली जाती है। ग्रामीण विकास योजनाओं के सभी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं।

iii. उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की है और इसके अतिरिक्त, वन विभाग की अनापत्ति जैसी बाधाएं, जिनके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय अथवा बैंकों के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है, की भी व्यवस्था की गई है।

iv. महात्मा गांधी नरेगा योजना और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा भी की जाती है। मनरेगा कार्यों से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

v. राज्यों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह दी गई है। कर्मारियों की भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। श्रमशक्ति की भर्ती और अन्य प्रशासनिक व्यय में सहायता करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम में लगी श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की भी व्यवस्था समय-समय पर की जाती है।

vi. प्रशासनिक और तकनीकी निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात क्षेत्र अधिकारी ऐप बनाया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के ऐप बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से अधिकारियों के निष्पादन की निगरानी की जाती है।

vii. निधियां जारी करने के प्रस्ताव और प्रलेखन की तैयारी के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय पर सलाह दी जाती है। विलंब के मामलों में, निधियां जारी करने की मांग करने के लिए मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जाता है।

viii. इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए निचले स्तर से मांग सृजित करने के उद्देश्य से महिला नेटवर्क, समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को एकजुट किया जाता है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 08.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3106 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन

I. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (05.08.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		पूरे किए गए	चल रहे	पूरे किए गए	चल रहे	पूरे किए गए	चल रहे	पूरे किए गए	चल रहे
1	अंडमान और निकोबार	351	1,179	527	1,007	244	1,043	212	990
2	आंध्र प्रदेश	773,527	733,006	363,759	781,542	382,048	979,445	176,660	1,030,178
3	अरुणाचल प्रदेश	3,165	4,407	3,767	5,258	2,134	8,030	386	8,123
4	असम	131,884	399,235	127,708	559,915	264,422	1,022,679	227,261	987,121
5	बिहार	988,600	2,283,601	1,300,259	1,416,791	1,089,362	1,143,985	270,003	972,443
6	छत्तीसगढ़	237,078	357,274	214,145	327,397	180,267	317,488	82,772	304,367
7	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	-	2	-	2	-	2	-	3
8	गोवा	230	486	208	518	94	746	14	782
9	गुजरात	146,908	142,689	99,624	307,097	173,113	329,935	46,369	357,795
10	हरियाणा	21,460	27,827	26,439	22,715	8,734	29,162	2,072	32,391
11	हिमाचल प्रदेश	77,048	122,167	88,825	163,562	107,588	139,667	30,935	126,247
12	जम्मू और कश्मीर	67,370	231,969	85,375	293,766	202,406	351,515	40,441	348,096
13	झारखंड	497,357	1,146,604	540,737	1,365,677	717,318	942,737	368,399	723,764
14	कर्नाटक	413,722	1,008,563	561,051	1,273,357	791,509	1,463,730	295,090	1,451,974
15	केरल	198,868	329,627	189,187	416,448	272,039	354,404	83,290	365,487
16	लद्दाख	653	8,256	1,839	9,766	8,725	18,796	9,287	11,256
17	लक्षद्वीप	-	153	27	148	15	156	-	162
18	मध्य प्रदेश	727,894	997,444	700,653	1,466,194	1,049,635	1,200,903	342,035	941,940
19	महाराष्ट्र	262,465	761,080	232,671	902,081	354,527	879,641	99,386	882,298
20	मणिपुर	15,533	14,734	10,000	19,967	1,826	23,032	37	23,190
21	मेघालय	26,263	44,139	14,264	57,363	11,643	68,345	4,566	70,307
22	मिजोरम	25,033	1,143	22,916	1,779	16,088	4,126	6,014	5,684
23	नागालैंड	3,310	4,507	2,643	5,511	1,405	8,486	650	10,698
24	ओडिशा	426,415	899,420	404,642	763,576	449,536	619,128	79,516	701,184
25	पुदुचेरी	777	183	538	209	608	256	130	668
26	पंजाब	35,890	124,533	52,457	125,571	52,053	130,196	22,538	128,430
27	राजस्थान	403,186	824,887	333,953	1,011,390	394,435	848,656	116,983	769,383
28	सिक्किम	5,481	8,916	6,288	8,598	6,784	7,729	776	8,665
29	तमिलनाडु	419,431	554,847	487,694	514,107	568,011	390,012	197,452	334,334
30	तेलंगाना	509,320	960,914	741,287	580,084	230,754	517,024	49,480	525,450
31	त्रिपुरा	79,099	46,904	69,765	161,440	161,653	101,509	55,128	105,084
32	उत्तर प्रदेश	621,310	2,201,833	1,073,842	2,150,085	1,290,123	2,168,970	280,233	2,401,344

33	उत्तराखंड	58,836	104,560	41,618	159,688	106,890	127,200	21,549	122,572
34	पश्चिम बंगाल	1,341,286	2,168,155	1,231,333	2,066,627	549,993	1,567,892	14,724	1,553,266
	कुल	8,519,750	16,515,244	9,030,041	16,939,236	9,445,982	15,766,625	2,924,388	15,305,676

II. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (04.08.2023 की स्थिति के अनुसार)

(इकाइयां संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	36241	36236	19083
2	असम	1910997	1909530	1545407
3	बिहार	3703355	3702763	3616643
4	छत्तीसगढ़	1176146	1176146	866770
5	गोवा	257	257	180
6	गुजरात	607515	606324	427045
7	हरियाणा	29441	29441	26298
8	हिमाचल प्रदेश	15457	15457	14423
9	जम्मू और कश्मीर	342575	339233	167078
10	झारखंड	1592553	1592488	1537135
11	केरल	35189	35187	30911
12	मध्य प्रदेश	3802248	3801878	3592738
13	महाराष्ट्र	1402333	1395426	1170736
14	मणिपुर	104897	85357	28946
15	मेघालय	188533	188505	37898
16	मिजोरम	29967	29967	7304
17	नागालैंड	49062	49058	7944
18	ओडिशा	2748459	2740685	1722091
19	पंजाब	40326	40326	34664
20	राजस्थान	1719638	1719103	1670160
21	सिक्किम	1409	1409	1173
22	तमिलनाडु	783488	777693	546873
23	त्रिपुरा	377533	377481	233445
24	उत्तर प्रदेश	3615149	3588409	3250539
25	उत्तराखंड	46792	46783	33786
26	पश्चिम बंगाल	4570082	4570072	3405616
27	अंडमान और निकोबार	3429	3430	1223
28	दादरा और नगर हवेली	12068	11580	3706
29	दमन और दीव	211	158	14
30	लक्षद्वीप	45	53	44
31	पुदुचेरी	-	-	-
32	आंध्र प्रदेश	246435	246430	55260
33	कर्नाटक	305129	245161	119600
34	तेलंगाना	-	-	-
35	लद्दाख	3041	3041	1437

	कुल	**29500000**	**29365067**	**24176170**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

(स्रोत: आवाससॉफ्ट)

III. पीएमजीएसवाई की शुरुआत से दिनांक 03.08.2023 तक विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के तहत स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा

(सड़क की लंबाई किमी में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत**			**निर्मित**			**शेष**		
		सड़कों की संख्या	**सड़क की लंबाई (किमी में)**	**पुलों की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**सड़क की लंबाई (किमी में)**	**पुलों की संख्या**	**सड़कों की संख्या**	**सड़क की लंबाई (किमी में)**	**पुलों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	115	200	0	61	102	0	54	97	0
2	आंध्र प्रदेश	5,219	19,882	375	4,973	17,529	267	246	1,788	108
3	अरुणाचल प्रदेश	1,479	15,105	267	1,283	13,372	181	196	1,691	86
4	असम	9,199	32,420	1,454	8,884	31,201	1,356	315	1,066	98
5	बिहार	18,775	65,576	1,592	17,912	58,994	1,309	863	4,677	283
6	छत्तीसगढ़	8,924	45,612	546	8,507	42,310	382	417	2,068	164
7	गोवा	70	156	0	70	155	0	0	0	0
8	गुजरात	4,826	15,731	279	4,740	14,831	88	86	728	191
9	हरियाणा	773	8,111	18	728	7,788	18	45	265	0
10	हिमाचल प्रदेश	3,623	22,295	104	3,408	20,851	94	215	1,129	10
11	जम्मू और कश्मीर	3,370	20,326	239	2,825	17,886	191	545	2,106	48
12	झारखंड	8,146	33,675	855	7,497	28,629	556	649	4,417	299
13	कर्नाटक	4,417	24,208	163	4,188	23,421	123	229	680	40
14	केरल	1,778	5,172	4	1,517	3,962	3	261	1,174	1
15	लद्दाख	191	1,622	3	127	1,039	3	64	487	0
16	मध्य प्रदेश	20,438	93,640	1,755	19,986	88,732	1,131	452	1,762	624
17	महाराष्ट्र	6,883	33,499	905	6,049	28,428	861	834	4,469	44
18	मणिपुर	1,913	11,673	211	1,737	10,774	138	176	892	73
19	मेघालय	1,229	5,198	112	1,030	4,247	87	199	928	25
20	मिजोरम	351	4,483	0	306	4,259	0	45	206	0
21	नागालैंड	396	4,893	53	326	4,193	46	70	701	7
22	ओडिशा	17,900	74,539	704	17,092	68,686	560	808	3,363	144
23	पुदुचेरी	45	106	0	21	50	0	24	55	0
24	पंजाब	1,379	10,364	39	1,246	9,350	8	133	975	31
25	राजस्थान	18,085	77,732	73	17,793	72,911	35	292	2,500	38
26	सिक्किम	995	4,915	99	908	4,611	59	87	241	40
27	तमिलनाडु	9,692	23,708	186	9,436	22,531	131	256	1,001	55
28	तेलंगाना	3,545	14,583	551	3,108	12,229	317	437	2,059	234
29	त्रिपुरा	1,435	5,470	64	1,353	4,851	53	82	441	11

30	उत्तर प्रदेश	21,067	77,011	17	19,910	68,477	10	1,157	7,418	7
31	उत्तराखंड	2,514	21,368	368	2,204	19,522	185	310	1,640	183
32	पश्चिम बंगाल	7,421	37,850	58	7,190	36,464	50	231	1,067	8
कुल		**1,86,193**	**8,11,124**	**11,094**	**1,76,415**	**7,42,383**	**8,242**	**9,778**	**52,093**	**2,852**

IV. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम)

क्र.सं.	**राज्य**	**2020-21**					
		एसएचजी की सामाजिक एकजुटता		**परिक्रामी निधि (आरएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**		**सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**	
		लक्ष्य	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**
1	आंध्र प्रदेश	75180	158	0	0	96800	0
2	असम	2831	10306	10345	38498	20687	16952
3	बिहार	15000	129511	154625	56070	154625	42037
4	छत्तीसगढ़	10965	18530	12500	19229	3000	2674
6	गुजरात	7922	10645	8922	4163	10000	3891
7	झारखंड	15600	13658	60000	117756	16000	89595
8	कर्नाटक	39000	15475	10000	105	17047	9210
9	केरल	300	4345	4500	10624	1800	4
10	मध्य प्रदेश	35000	40104	35000	42968	25000	12320
11	महाराष्ट्र	142223	69968	106886	33471	28933	5067
12	ओडिशा	27000	49467	14500	19116	26000	21526
13	राजस्थान	20000	24703	27000	28737	10700	11999
14	तमिलनाडु	8800	25088	11500	6192	15238	7018
15	तेलंगाना	1000	974	0	0	1000	0
16	उत्तर प्रदेश	100000	111493	132751	75362	82216	64044
17	पश्चिम बंगाल	80611	27668	80440	52545	77651	14338
18	हरियाणा	10050	5548	10050	5896	5360	3902
19	हिमाचल प्रदेश	5500	4984	4200	4466	1090	357
20	जम्मू और कश्मीर	1500	1873	1500	7930	1500	4919
21	पंजाब	9264	7565	7575	6190	3282	1980
22	उत्तराखंड	1500	2480	7000	7013	2600	2936
23	अरुणाचल प्रदेश	2330	369	1631	306	1165	121
24	मणिपुर	4110	232	3089	353	1605	0
25	मेघालय	14000	8384	13751	9269	3160	1672
26	मिजोरम	797	970	989	1418	490	627
27	नागालैंड	3468	2646	4590	1547	2800	884
28	सिक्किम	80	1026	280	59	1189	321
29	त्रिपुरा	10000	13394	4000	3721	3000	3535
30	अंडमान	100	54	350	52	125	3

31	गोवा	400	458	1460	963	1500	186
32	लद्दाख	90	0	254	0	126	0
33	लक्षद्वीप	471	0	300	0	272	0
34	पुदुचेरी	184	226	196	71	252	8
35	दमन और दीव एवं दादारा नगर हवेली	1111	27	1056	134	508	28
	कुल	**646387**	**602329**	**731240**	**554224**	**616721**	**322154**

क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**					
		एसएचजी की सामाजिक एकजुटता		**परिक्रामी निधि (आरएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**		**सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**	
		लक्ष्य	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**
1	आंध्र प्रदेश	0	8959	0	12	0	68
2	असम	6952	13235	15000	41336	22810	42483
3	बिहार	24247	22037	72100	271	80387	0
4	छत्तीसगढ़	18000	14477	55000	40818	21276	13316
6	गुजरात	40000	3615	20000	16616	28572	9541
7	झारखंड	25000	12758	50000	16707	20000	37279
8	कर्नाटक	26400	25638	10000	1419	40000	17165
9	केरल	7500	9998	5000	10076	1500	11
10	मध्य प्रदेश	70000	36048	176865	32095	75979	15951
11	महाराष्ट्र	105000	43173	128355	30788	30000	8717
12	ओडिशा	14500	38785	20500	58747	34000	30814
13	राजस्थान	65480	42529	66928	7621	17257	7466
14	तमिलनाडु	12000	16004	12000	17624	37500	23723
15	तेलंगाना	20000	10637	60000	0	3487	106
16	उत्तर प्रदेश	208000	171894	156620	154080	150000	116222
17	पश्चिम बंगाल	48675	71661	70000	185974	60000	86074
18	हरियाणा	15000	5645	10000	7288	6000	3741
19	हिमाचल प्रदेश	8000	8798	7000	6843	1800	1026
20	जम्मू और कश्मीर	10200	14054	15861	7760	15010	10218
21	पंजाब	10411	7422	9874	5247	4796	1751
22	उत्तराखंड	4000	4917	5000	5135	5000	5537
23	अरुणाचल प्रदेश	6481	1075	2409	1281	1867	208
24	मणिपुर	8760	1267	4899	1126	3972	1654
25	मेघालय	13558	8311	13250	11155	2375	2155
26	मिजोरम	1894	894	1528	665	1010	1764
27	नागालैंड	373	220	1450	3106	3000	3535
28	सिक्किम	120	143	300	3151	300	2971
29	त्रिपुरा	7500	7048	3300	9916	3000	14518
30	अंडमान	65	102	150	0	200	0

31	गोवा	600	413	746	711	413	195
32	लद्दाख	649	7	864	0	300	0
33	लक्षद्वीप	230	155	277	0	50	0
34	पुदुचेरी	500	316	420	1148	1500	791
35	दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली	500	133	582	248	125	27
	कुल	**780595**	**602368**	**996278**	**678964**	**673486**	**459027**

क्र.सं.	**राज्य**	**2022-23**					
		एसएचजी की सामाजिक एकजुटता		**परिक्रामी निधि (आरएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**		**सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या**	
		लक्ष्य	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**	**लक्ष्य**	**प्रगति**
1	आंध्र प्रदेश	12717	33122	0	0	4360	0
2	असम	13881	26902	13371	19360	23290	12532
3	बिहार	10000	51785	107640	37349	135000	0
4	छत्तीसगढ़	25000	48583	40000	21835	22280	6510
6	गुजरात	18000	11494	20000	12374	18000	6406
7	झारखंड	10000	10128	20000	5968	74000	15352
8	कर्नाटक	15000	36903	10000	1699	28667	14936
9	केरल	5000	4131	24586	449	5758	0
10	मध्य प्रदेश	92310	72487	151364	71426	40057	15494
11	महाराष्ट्र	80000	43113	160090	99856	48170	16715
12	ओडिशा	35000	29611	45000	75384	35000	32403
13	राजस्थान	47476	50535	64399	72317	26000	45042
14	तमिलनाडु	10000	27821	10000	21251	15796	28271
15	तेलंगाना	32	21193	20000	0	22694	0
16	उत्तर प्रदेश	200868	125652	220000	134057	119000	54300
17	पश्चिम बंगाल	143003	120092	116003	131192	20035	34714
18	हरियाणा	15000	6790	16000	6764	15000	4894
19	हिमाचल प्रदेश	6300	7911	10000	6379	2750	3815
20	जम्मू और कश्मीर	18590	20586	18590	12061	18590	9839
21	पंजाब	12410	8368	8800	7880	4820	1217
22	उत्तराखंड	20000	17581	6000	7039	6000	6296
23	अरुणाचल प्रदेश	6250	3731	4375	1719	2540	256
24	मणिपुर	9761	4082	5857	1221	4741	146
25	मेघालय	3777	4686	10083	6232	4751	4925
26	मिजोरम	1600	1688	1960	1432	2060	1086
27	नागालैंड	740	1441	472	1439	4000	1193
28	सिक्किम	160	321	320	343	1440	795
29	त्रिपुरा	11300	12198	9500	14852	4100	6281
30	अंडमान	784	141	240	2	366	0
31	गोवा	180	279	641	285	456	268

32	लद्दाख	350	105	864	14	255	0
33	लक्षद्वीप	60	17	162	38	300	0
34	पुदुचेरी	766	783	1882	1346	1180	498
35	दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली	375	212	375	26	225	1
	कुल	**826690**	**804472**	**1118574**	**773589**	**711681**	**324185**

V. वर्ष 2022-23 के दौरान दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 22-23**	
		प्रशिक्षित	**रोजगार प्राप्त**
1	आंध्र प्रदेश	17032	13581
2	अरुणाचल प्रदेश	608	250
3	असम	11864	5563
4	बिहार	11490	6639
5	छत्तीसगढ़	9715	7204
6	गुजरात	2881	922
7	हरियाणा	5553	2397
8	हिमाचल प्रदेश	3907	2349
9	जम्मू और कश्मीर	5369	1959
10	झारखंड	10113	7140
11	कर्नाटक	3754	2115
12	केरल	8302	4762
13	मध्य प्रदेश	15623	11282
14	महाराष्ट्र	5314	1928
15	मणिपुर	1921	707
16	मेघालय	2165	1254
17	मिजोरम	344	301
18	नागालैंड	2371	1556
19	ओडिशा	16475	10615
20	पंजाब	8151	7684
21	राजस्थान	5854	4290
22	सिक्किम	859	244
23	तमिलनाडु	15171	9266
24	तेलंगाना	4136	578
25	त्रिपुरा	2256	1052
26	उत्तर प्रदेश	36326	15240
27	उत्तराखंड	8257	4694
28	पश्चिम बंगाल	9206	3409
29	पुदुचेरी	844	227
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	133	36
	कुल	**225994**	**129244**

स्रोत: डीडीयू-जीकेवाई एमआईएस (kaushalpragati.nic.in और kaushalbharat.gov.in)

VI. वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2022-23	
		प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	421	421
2	आंध्र प्रदेश	10935	8792
3	अरुणाचल प्रदेश	384	438
4	असम	14328	11087
5	बिहार	28292	22769
6	छत्तीसगढ़	12744	11238
7	दादरा नगर हवेली	761	545
8	गुजरात	20564	16395
9	हरियाणा	14086	8989
10	हिमाचल प्रदेश	6134	4013
11	जम्मू और कश्मीर	7909	6453
12	झारखंड	18979	13844
13	कर्नाटक	24937	19407
14	केरल	9970	7990
15	लक्षद्वीप	465	285
16	मध्य प्रदेश	32068	24620
17	महाराष्ट्र	27322	21474
18	मणिपुर	920	834
19	मेघालय	2024	1480
20	मिजोरम	907	798
21	नागालैंड	396	395
22	ओडिशा	20766	17486
23	पुदुचेरी	821	780
24	पंजाब	10833	8243
25	राजस्थान	30404	25274
26	सिक्किम	411	299
27	तमिलनाडु	26310	21110
28	तेलंगाना	7195	6516
29	त्रिपुरा	2744	2237
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	624	355
31	उत्तर प्रदेश	55972	46109
32	उत्तराखंड	7007	5599
33	पश्चिम बंगाल	12169	9605
	कुल:	**409802**	**325880**

स्रोत: आरएसईटीआई का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनएसीईआर)

VII. वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(रुपये) लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (रुपए करोड़ में)	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	317.34	997921
2	बिहार	1341.26	3959782
3	छत्तीसगढ़	299.61	911904
4	गोवा	0.00	14242
5	गुजरात	242.01	878710
6	हरियाणा	250.20	331423
7	हिमाचल प्रदेश	35.85	119333
8	झारखंड	409.21	1355932
9	कर्नाटक	446.58	1414586
10	केरल	0.00	729591
11	मध्य प्रदेश	1010.40	2236789
12	महाराष्ट्र	171.14	1351386
13	ओडिशा	680.58	2127452
14	पंजाब	0.00	140904
15	राजस्थान	621.76	1195049
16	तमिलनाडु	578.79	1951042
17	तेलंगाना	216.45	713193
18	उत्तर प्रदेश	1835.18	5592696
19	उत्तराखंड	118.92	236143
20	पश्चिम बंगाल	622.56	2207824
पूर्वोत्तर के राज्य			
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	8480
22	असम	309.54	877764
23	मणिपुर	27.29	66963
24	मेघालय	21.12	70040
25	मिजोरम	10.67	28685
26	नागालैंड	22.56	52345
27	सिक्किम	8.14	19984
28	त्रिपुरा	30.03	149873
संघ राज्य क्षेत्र			
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1238
30	चंडीगढ़	0.00	5484
31	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	0.00	11553
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	162581

33	जम्मू और कश्मीर	21.13	150402
34	लद्दाख	3.68	7260
35	लक्षद्वीप	0.00	366
36	पुदुचेरी	0.00	30620
	कुल योग	**9652.00**	**30109540**

VIII. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) वर्ष 2022-23 के लिए

एसपीएमआरएम के तहत राज्य-वार कार्य की प्रगति			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**चल रहे कार्यों की संख्या**	**पूरे किए गए कार्यों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35	123
2	आंध्र प्रदेश	2817	5381
3	अरुणाचल प्रदेश	2	113
4	असम	480	151
5	बिहार	213	761
6	छत्तीसगढ़	946	5206
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	31	21
8	गोवा	1	0
9	गुजरात	89	477
10	हरियाणा	421	1377
11	हिमाचल प्रदेश	292	608
12	जम्मू और कश्मीर	24	244
13	झारखंड	1881	1370
14	कर्नाटक	395	3125
15	केरल	215	1470
16	लद्दाख	5	11
17	लक्षद्वीप	7	13
18	मध्य प्रदेश	679	1074
19	महाराष्ट्र	977	2473
20	मणिपुर	39	10
21	मेघालय	44	192
22	मिजोरम	57	256
23	नागालैंड	0	0
24	ओडिशा	48	1570
25	पुदुचेरी	8	6
26	पंजाब	245	135
27	राजस्थान	75	3844
28	सिक्किम	35	140
29	तमिलनाडु	112	1727
30	तेलंगाना	1475	7995

31	त्रिपुरा	115	281
32	उत्तर प्रदेश	528	896
33	उत्तराखंड	79	748
34	पश्चिम बंगाल	0	0
कुल		**12370**	**41798**

IX. भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं और पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी)**			
		स्वीकृत परियोजना की कुल संख्या @	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की हस्तांतरित परियोजनाएं**	**डीओएलआर द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं**	**पूरी की गई परियोजनाएं**
1	आंध्र प्रदेश	432	59	373	371
2	अरुणाचल प्रदेश	156	42	114	114
3	असम	372	92	280	280
4	बिहार	123	59	64	64
5	छत्तीसगढ़	263	55	208	208
6	गोवा	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के अंतर्गत गोवा में कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।			
7	गुजरात	610	121	489	489
8	हरियाणा	88	13	75	75
9	हिमाचल प्रदेश	163	32	131	131
10	झारखंड	171	28	143	143
11	कर्नाटक	571	142	429	429
12	केरल	83	14	69	69
13	मध्य प्रदेश	517	71	446	446
14	महाराष्ट्र	1186	162	1024	1024
15	मणिपुर	102	41	61	61
16	मेघालय	96	35	61	61
17	मिजोरम	89	40	49	49
18	नागालैंड	111	0	111	111
19	ओडिशा	310	76	234	234
20	पंजाब	67	34	33	33
21	राजस्थान	1025	205	820	817
22	सिक्किम	15	9	6	6
23	तमिलनाडु	270	0	270	270
24	तेलंगाना	330	54	276	275
25	त्रिपुरा	65	9	56	56
26	उत्तराखंड	65	3	62	62
27	उत्तर प्रदेश	612	363	249	249
28	पश्चिम बंगाल	163	44	119	119
29	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य	144	25	119	119

	क्षेत्र				
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	15	4	11	11
	कुल	**8214**	**1832**	**6382**	**6376**

@ पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत स्वीकृत, जिसे 2015-16 में पीएमकेएसवाई की अम्ब्रेला योजना में एक घटक के रूप में आमेलित किया गया था और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक के रूप में नामित किया गया था।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, शामिल किए गए क्षेत्र, कुल परियोजना लागत और जारी किए गए केंद्रीय अंश का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर लाख में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया केंद्रीय अंश (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	59	2.444	555.313	110.97
2	अरुणाचल प्रदेश	68	1.509	422.562	119.01
3	असम	31	1.366	310.603	89.53
4	बिहार	35	1.716	440.973	113.47
5	छत्तीसगढ़	45	2.505	613.663	113.70
6	गुजरात	51	2.924	687.806	105.35
7	गोवा	5	0.200	55.958	4.39
8	हरियाणा	9	0.312	80.593	9.13
9	हिमाचल प्रदेश	26	0.540	151.200	27.94
10	झारखंड	30	1.480	393.530	66.62
11	कर्नाटक	62	2.900	680.390	244.59
12	केरल	6	0.262	73.256	13.25
13	मध्य प्रदेश	85	5.097	1121.274	332.65
14	महाराष्ट्र	144	5.652	1335.566	158.63
15	मणिपुर	13	0.587	164.332	18.71
16	मेघालय	32	0.627	175.644	71.50
17	मिजोरम	20	0.496	138.880	35.63
18	नागालैंड	9	0.320	89.600	31.85
19	ओडिशा	53	2.935	759.961	168.57
20	पंजाब	7	0.289	80.828	8.33
21	राजस्थान	149	7.50700	1858.854	282.56
22	सिक्किम	6	0.200	56.000	12.11
23	तमिलनाडु	28	1.353	300.730	65.89
24	तेलंगाना	35	1.467	368.067	65.96
25	त्रिपुरा	19	0.320	89.600	25.64
26	उत्तर प्रदेश	53	2.640	580.714	21.78
27	उत्तराखंड	12	0.702	196.647	42.67
28	पश्चिम बंगाल	27	1.292	350.600	35.89
	संघ राज्य क्षेत्र				
29	जम्मू और कश्मीर	19	0.695	194.580	33.56
30	लद्दाख	11	0.217	60.860	3.80
	कुल	**1149**	**50.553**	**12388.584**	**2433.68**